कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा

आवश्यक सूचना

हरियाणा राज्य में खरीफ फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। गत वर्षों की भांति फसल अवशेषों को जलाने से रोकने की लिए कृषि तथ किसान कल्याण विभाग तत्पर है। इस मुहिम में जिला प्रशासन को शामिल करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, खाद्‌य एवं आपूर्ति, पशुपालन तथा राजस्व विभाग से भी इस मुहिम से शामिल हाने के लिए जिला उपायुक्तों के माध्यम से आग्रह किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव दिनांक 20–09–2017 को सभी उपायुक्तों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्बोधित कर चुके हैं। राज्य सरकार प्रदुषण अधिनियम, 1981 की धारा 19 (5) के तहत फसल अवशेषों को जलाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने को कहा गया है। इस विषय पर माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल भी नजर रखे हुए हैं।

हरियाणा के किसानों को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा हैपी सीडर, रॉटरी प्लो, रीपर बाइंडर, स्ट्रा बेलर, मल्चर, रिवर्स प्लो, हैडेक, स्ट्राचॉपर तथा स्ट्रा शेडर, स्लेशर/चॉपर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह सभी मशीनें इस उदेश्य में पर्यावरण हितैषी है। मैं जन साधारण से भी अपील करता हूँ कि पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने के लिए इस मुहिम में योगदान दें।

निदेशक,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकूला